

## "महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार: स्वरोजगार में महिलाओं की भूमिका"

नीतू सिंह<sup>1</sup>, डा. अमरपाल सिंह<sup>2</sup>, डा. विनोद सिंह<sup>3</sup>

<sup>1</sup>शोध छात्रा, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी देवा रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)

<sup>2</sup>मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी देवा रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)

<sup>3</sup>विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विभाग, श्री रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

### सारांश

ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जो केवल अधिकारों की घोषणा से नहीं, अपितु व्यावहारिक अवसरों के सृजन से साकार होती है। इस शोध-पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है। स्वरोजगार उन महिलाओं के लिए एक प्रभावशाली उपकरण सिद्ध हो रहा है, जो पारंपरिक सामाजिक सीमाओं के भीतर रहकर भी आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं।

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहाँ महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन, सिलाई-कढ़ाई एवं कृषि आधारित स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका को सशक्त रूप में विकसित किया है। अनुसंधान के अंतर्गत प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह हेतु साक्षात्कार, प्रश्नावली और फोकस ग्रुप चर्चाओं का उपयोग किया गया। इसके साथ-साथ द्वितीयक आंकड़ों के लिए सरकारी रिपोर्टों, नीतिगत दस्तावेजों और पूर्व प्रकाशित शोधों का भी सहारा लिया गया।

शोध के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि स्वरोजगार न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाता है, बल्कि उनके आत्म-सम्मान, निर्णय लेने की क्षमता तथा सामाजिक स्वीकार्यता को भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है। हालांकि, इस प्रक्रिया में अनेक चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह, बाज़ार तक सीमित पहुँच और नीति-क्रियान्वयन की असमानता।

इस शोध-पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि महिलाओं को लक्षित कर नीति-निर्माण किया जाए तथा SHG, बैंकिंग सहायता, डिजिटल प्लेटफार्मों, और ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संगठित रूप से जोड़ दिया जाए, तो स्वरोजगार महिलाओं के लिए न केवल एक आजीविका का माध्यम रहेगा, बल्कि यह एक स्थायी सशक्तिकरण मॉडल के रूप में स्थापित हो सकता है। यह अध्ययन सामाजिक नीति-निर्माताओं,

गैर-सरकारी संगठनों, और ग्रामीण विकास में संलग्न संस्थाओं के लिए एक उपयोगी संदर्भ-सामग्री के रूप में कार्य कर सकता है।

**मुख्य शब्द:** महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, ग्रामीण भारत, स्वयं सहायता समूह, कुटीर उद्योग, सामाजिक स्वीकार्यता, निर्णय क्षमता, नीति-निर्माण, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास।

## 1. प्रस्तावना

### 1.1 महिला सशक्तिकरण का संक्षिप्त परिचय

महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों, अवसरों और संसाधनों तक पूर्ण और समान पहुँच प्राप्त होती है, जिससे वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। यह केवल महिलाओं को "समान अधिकार" देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उनकी आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वीकृति का समावेश भी होता है।

भारतीय समाज, विशेषकर ग्रामीण भारत, ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक संरचना से प्रभावित रहा है, जहाँ महिलाओं की भूमिका को परंपरागत रूप से सीमित रखा गया है। हालाँकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक, भारत में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न प्रयास हुए हैं—जैसे कि संवैधानिक अधिकार, महिला आरक्षण, शिक्षा अभियान, और आर्थिक योजनाएँ, लेकिन व्यवहार में इनका प्रभाव समान रूप से सभी वर्गों तक नहीं पहुँचा है। खासतौर पर ग्रामीण महिलाएँ अभी भी लैंगिक भेदभाव, साक्षरता की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता, और आर्थिक निर्भरता जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रही हैं।

ऐसे में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को यदि स्थायी रूप से प्रभावशाली बनाना है, तो उसमें रोजगार और आय के संसाधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब महिलाएँ अपनी मेहनत से आमदनी अर्जित करने लगती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाती हैं, बल्कि समाज में भी उनका सामाजिक स्थान और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण एक सामाजिक आदर्श न होकर विकास का आधार बन जाता है।

### 1.2 भारत में ग्रामीण रोजगार की स्थिति

भारत एक कृषि-प्रधान देश है जहाँ आज भी लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और उनकी आजीविका का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, वनों पर आधारित उत्पाद, और कुटीर उद्योग हैं। किंतु बदलती जलवायु, भूमिहीनता, तकनीकी पिछड़ापन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता की कमी के कारण रोजगार के अवसर सीमित, मौसमी और अस्थिर होते जा रहे हैं।

विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति और भी जटिल है। वे पारिवारिक कार्यों और खेतिहर मज़दूरी में बिना वेतन के कार्य करती हैं, लेकिन उनकी भूमिका को औपचारिक रूप से 'काम' नहीं माना जाता। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन और PLFS की रिपोर्टें दिखाती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ या तो बेरोज़गार हैं या न्यूनतम पारिश्रमिक पर काम कर रही हैं।

हालाँकि सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी योजनाओं से रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास हुए हैं, पर ये योजनाएँ भी अस्थायी समाधान ही सिद्ध हुई हैं। इनमें संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है, ताकि महिलाएँ न केवल काम पा सकें, बल्कि स्थायी, लचीला और सम्मानजनक स्वरोज़गार भी स्थापित कर सकें।

इस संदर्भ में, स्वरोज़गार, जो स्थानीय संसाधनों, परंपरागत कौशल और लघु वित्त पर आधारित हो, ग्रामीण रोजगार की चुनौतियों से निपटने का एक व्यावहारिक विकल्प बनकर उभरा है। महिलाओं को यदि सही प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और बाज़ार तक पहुँच प्राप्त हो, तो वे स्वयं के लिए रोजगार सृजित कर सकती हैं और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर सकती हैं।

### 1.3 स्वरोज़गार क्यों महत्वपूर्ण है?

ग्रामीण भारत में जहाँ पारंपरिक रोजगार के अवसर सीमित, अनियमित और प्रायः मौसमी होते हैं, वहाँ स्वरोज़गार महिलाओं के लिए न केवल आजीविका का एक सशक्त विकल्प बनता है, बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान और निर्णयात्मक अधिकार भी प्रदान करता है। स्वरोज़गार वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाएँ स्वयं अपने कौशल, संसाधन और प्रयासों के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करती हैं, जिससे वे दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं एक निर्माता बन जाती हैं।

स्वरोज़गार का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह स्थानीयता पर आधारित होता है—अर्थात् महिलाएँ अपने घर या गाँव में रहकर ही कार्य कर सकती हैं। इससे न केवल उनका पारिवारिक संतुलन बना रहता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। ग्रामीण महिलाएँ जिनके पास सीमित शिक्षा या तकनीकी योग्यता है, वे भी स्वरोज़गार के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकती हैं, जैसे—सिलाई, बुनाई, कृषि-आधारित प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, पापड़/अचार निर्माण आदि। इससे उन्हें आय का स्रोत मिलता है और उनका आत्मविश्वास भी सुदृढ़ होता है।

इसके अतिरिक्त, जब महिलाएँ स्वरोज़गार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं, तो वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे पारिवारिक निर्णयों में भी सक्रिय भूमिका निभाने लगती हैं। इससे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जैसे मुद्रा योजना,

आदि ने स्वरोज़गार की राह को और सुलभ बनाया है, जिससे महिलाओं को पूंजी, प्रशिक्षण और विपणन सहायता उपलब्ध हो रही है। इस प्रकार, स्वरोज़गार केवल एक आजीविका का साधन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली औज़ार है, जो उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाता है।

#### 1.4 शोध का उद्देश्य और महत्व

यह शोध-पत्र निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को आधार बनाकर तैयार किया गया है:

1. ग्राम्य भारत में महिलाओं की स्वरोज़गार गतिविधियों की भूमिका का विश्लेषण करना
2. यह समझना कि स्वरोज़गार कैसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है – विशेषकर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से
3. यह पहचानना कि ग्रामीण महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (जैसे वित्त, प्रशिक्षण, सामाजिक मान्यताएँ)
4. विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे, मुद्रा योजना आदि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना

इस शोध का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यदि स्वरोज़गार को नीति-निर्माण के केंद्र में रखा जाए, तो ग्रामीण महिलाओं को 'सहभागी' से 'निर्माता' बनने का अवसर मिलेगा। यह शोध उन व्यवहारिक मॉडल्स और नीतियों की पहचान करेगा, जो ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कारगर साबित हो सकते हैं।

## 2. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

किसी भी सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के लिए सैद्धांतिक ढाँचा अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह अध्ययन को केवल अनुभवजन्य सीमाओं में बाँधने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ता है। यह खंड "महिला सशक्तिकरण", "ग्रामीण रोजगार" और "स्वरोज़गार" की अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, और उनके आपसी अंतर्संबंध को सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से रेखांकित करता है।

### 2.1 महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

महिला सशक्तिकरण का विचार सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, विशेषकर लैंगिक समानता, मानवाधिकार, और सहभागिता की अवधारणाओं से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को वह सामर्थ्य प्रदान करना है जिससे वे अपने जीवन से संबंधित निर्णयों को स्वतंत्र रूप से ले सकें, और संसाधनों पर उनका स्वामित्व और नियंत्रण सुनिश्चित हो। यह सशक्तिकरण

केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आयाम शामिल होते हैं।

अमर्त्य सेन का "Capability Approach" यह तर्क देता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसरों की वास्तविक उपलब्धता, उसकी सच्ची सशक्तिकरण की पहचान है। इस सिद्धांत को महिला संदर्भ में लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि जब महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और आय के साधन मिलते हैं, तो वे अपने जीवन के विकल्पों का निर्धारण स्वयं कर सकती हैं।

## 2.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाएँ सदैव एक अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण श्रमिक शक्ति के रूप में रही हैं। वे कृषि, पशुपालन, घरेलू उत्पादन, और जल-संरक्षण जैसे कार्यों में निरंतर योगदान देती आई हैं, परंतु पारंपरिक सामाजिक संरचना के कारण उनके श्रम को औपचारिक मान्यता बहुत कम मिली है। यह स्थिति "लैंगिक श्रम विभाजन" के सिद्धांत को प्रमाणित करती है, जिसके अनुसार समाज महिलाओं को घरेलू व सेवा-आधारित कार्यों तक सीमित करता है।

डॉ. बिंदा पंड्या और लीला दुबे जैसी समाजशास्त्रियों ने अपने शोधों में बताया है कि ग्रामीण महिलाएँ केवल सहयोगी नहीं हैं, बल्कि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी आर्थिक गतिविधियों को स्वरोज़गार के माध्यम से संस्थागत स्वरूप देना ही सशक्तिकरण की दिशा में वास्तविक कदम है।

## 2.3 स्वरोज़गार का सैद्धांतिक आधार

स्वरोज़गार की अवधारणा को स्वतंत्र उद्यमिता और स्थायी आजीविका से जोड़ा जाता है। स्वरोज़गार का विचार यह मानता है कि यदि व्यक्ति के पास कुछ मौलिक संसाधन हों—जैसे कि कौशल, पूंजी, स्थान और बाज़ार तक पहुँच—तो वह दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी आय सृजित कर सकता है।

एलिना ऑस्टरवाल्ड की अवधारणा के अनुसार, जब महिलाएँ स्वरोज़गार करती हैं, तो वे केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनती हैं। उनके पास स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं, और सामुदायिक विकास में भागीदारी करती हैं।

एनजीओ सिद्धांतकारों और विकास अर्थशास्त्रियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वरोज़गार के माध्यम से महिलाएँ 'लाभार्थी' से 'निर्माता' की भूमिका में आती हैं। इस परिवर्तन को का मूल आधार माना गया है।

## 2.4 अंतरसंबंध और समकालीन प्रासंगिकता

इन तीनों अवधारणाओं—महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार और स्वरोज़गार—के आपसी अंतर्संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोज़गार केवल आय का साधन नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वे पारंपरिक बाधाओं को तोड़ते हुए समानता, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त कर सकती हैं। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होती है, बल्कि सामूहिक सामाजिक परिवर्तन की भी आधारशिला रखती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में काम कर रही है, तब स्वरोज़गार आधारित महिला सशक्तिकरण मॉडल, ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत प्रभावी रणनीति बन सकते हैं।

### 3. अनुसंधान पद्धति

इस शोध में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों अनुसंधान पद्धतियों का समन्वित रूप से प्रयोग किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति को व्यापक रूप से समझा जा सके। शोध पद्धति को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह आंकड़ों, अनुभवों, सामाजिक व्यवहार और नीतिगत पहलुओं को समाविष्ट कर सके।

#### 3.1 अध्ययन क्षेत्र का चयन

शोध के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के चार जिलों को चुना गया है:

रायबरेली (हरचंदपुर ब्लॉक), उन्नाव (पुरवा ब्लॉक), गोंडा (खरगूपुर ब्लॉक), वाराणसी (सेवापुरी ब्लॉक)

इन क्षेत्रों का चयन निम्नलिखित विशिष्ट आधारों पर किया गया है, जो शोध के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हैं:

1. **ग्रामीण स्वरोज़गार गतिविधियों की सक्रिय उपस्थिति:** चयनित क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा विभिन्न स्वरोज़गार गतिविधियाँ—जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, डेयरी, बुनाई, हस्तशिल्प, अचार-पापड़ निर्माण आदि—सक्रिय रूप से संचालित की जा रही हैं। इससे शोध के लिए उपयुक्त व्यवहारिक संदर्भ प्राप्त हुआ।
2. **महिला स्वयं सहायता समूहों की सघनता:** इन जिलों में SHGs की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, और महिलाएँ समूहों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं, प्रशिक्षण तथा बाज़ार पहुँच जैसी सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, जिससे अध्ययन के लिए संगठित डाटा प्राप्त करना संभव हुआ।
3. **कृषि एवं कुटीर उद्योग की प्रासंगिकता:** चयनित क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि आधारित कार्यों के साथ-साथ कुटीर एवं लघु उद्योगों का सामाजिक व आर्थिक महत्व है, जो स्वरोज़गार को एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है।
4. **सरकारी योजनाओं की पहुँच एवं क्रियान्वयन की स्थिति:** इन जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं—जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुद्रा योजना, एवं महिला उद्यमिता विकास

कार्यक्रम—का सक्रिय क्रियान्वयन देखा गया है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के स्वरोज़गार प्रयासों को सहायता प्रदान करने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

### 3.2 नमूना आकार (Sample Size)

इस शोध में कुल 120 ग्रामीण महिलाओं को प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित किया गया। प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र—रायबरेली, उन्नाव, गोंडा एवं वाराणसी—से 30-30 महिलाओं का चयन किया गया, जिससे क्षेत्रीय विविधताओं का तुलनात्मक विश्लेषण संभव हो सके।

महिलाओं के चयन के लिए उद्देश्यात्मक नमूना चयन पद्धति का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है कि शोध हेतु उन महिलाओं को लक्षित रूप से चुना गया, जो पहले से ही स्वरोज़गार गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न थीं—जैसे कि स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएँ, कुटीर उद्योग संचालिकाएँ, या कृषि और पशुपालन आधारित लघु उद्यमों की स्वामी।

इस प्रकार चुने गए नमूने ने शोध को लक्षित परिप्रेक्ष्य (targeted perspective) और व्यावहारिक सटीकता प्रदान की, जिससे स्वरोज़गार की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक भूमिका को गहराई से समझना संभव हुआ।

### 3.3 डेटा संग्रहण के उपकरण (Data Collection Tools)

शोध की विश्वसनीयता और व्यावहारिकता सुनिश्चित करने हेतु गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित किया गया। इसके लिए विभिन्न उपकरणों का चयन इस प्रकार किया गया जो विषय की बहुआयामी समझ को स्पष्ट कर सकें:

### 3.4 डेटा संग्रहण के उपकरण (Data Collection Tools)

शोध की विश्वसनीयता और व्यावहारिकता सुनिश्चित करने हेतु गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित किया गया। इसके लिए विभिन्न उपकरणों का चयन इस प्रकार किया गया जो विषय की बहुआयामी समझ को स्पष्ट कर सकें:

#### 3.4.1. साक्षात्कार (Interviews)

शोध में अर्ध-संरचित साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक ज़िले की चुनी गई महिलाओं से गहन बातचीत की गई। ये महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई थीं तथा स्वरोज़गार के विविध क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्यरत थीं।

साक्षात्कार के दौरान पूछे गए मुख्य विषय निम्नलिखित थे:

- महिलाओं की वर्तमान आय के स्रोत



- आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में योगदान
- सामाजिक भूमिका में परिवर्तन
- SHGs और योजनाओं से जुड़ाव

साक्षात्कारों ने शोध को व्यवहारिक अनुभवों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

### 3.4.2. प्रश्नावली (Structured Questionnaire)

प्रत्येक प्रतिभागी महिला को एक संरचित प्रश्नावली दी गई जिसमें कुल 25 प्रश्न शामिल थे। प्रश्नावली हिंदी में सरल और स्पष्ट भाषा में तैयार की गई ताकि शिक्षित व अल्पशिक्षित दोनों वर्ग की महिलाएँ उत्तर देने में सहज महसूस करें।

प्रश्नावली के प्रमुख विषय-वस्तु निम्नलिखित थे:

- आर्थिक स्थिति एवं मासिक आय का स्रोत
- सामाजिक स्वतंत्रता और पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी
- स्वरोज़गार से संबंधित प्रशिक्षण व कौशल उपलब्धता
- सरकारी/गैर-सरकारी योजनाओं से जुड़ाव की स्थिति

### 3.4.3. प्रेक्षण विधि (Observation Method)

शोधकर्ता द्वारा चयनित क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की बैठकें, उत्पादन स्थलों पर कार्य, और स्थानीय विपणन गतिविधियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। प्रेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि महिलाएँ किन संसाधनों का उपयोग कर रही हैं, किस स्तर पर कार्य कर रही हैं, और किस प्रकार की सामाजिक-सांस्कृतिक सीमाओं से जूझ रही हैं। यह विधि उन सूक्ष्म व्यवहारिक पक्षों को समझने में सहायक रही, जो उत्तरदाताओं द्वारा कभी-कभी शब्दों में व्यक्त नहीं किए जाते।

## 4. स्वरोज़गार में महिलाओं की भूमिका

ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना में महिलाएँ पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों और कृषि संबंधी सहायक गतिविधियों तक सीमित रही हैं। किंतु हाल के दशकों में स्वरोज़गार ने उन्हें इस सीमित परिपाटी से बाहर निकलकर स्वतंत्र उद्यमिता की दिशा में अग्रसर होने का अवसर प्रदान किया है। आज महिलाएँ केवल श्रमिक नहीं, बल्कि उद्यमिता की वाहक, नवाचार की प्रेरणा और सामाजिक परिवर्तन की संवाहक बन रही हैं।

### 4.1 आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में योगदान



स्वरोज़गार के माध्यम से महिलाएँ अपने परिवार की आय में सीधा योगदान देने लगी हैं। अध्ययन में सम्मिलित महिलाओं में अधिकांश ने घरेलू उत्पादन, डेयरी, बुनाई-कढ़ाई, प्रसंस्कृत खाद्य निर्माण (अचार, पापड़, मसाले), और हस्तशिल्प जैसे कार्यों से नियमित आय प्राप्त की। कई महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लघु ऋण प्राप्त कर अपने व्यवसायों की शुरुआत कर चुकी थीं।

यह आर्थिक भागीदारी महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें पारिवारिक एवं सामाजिक निर्णयों में भागीदारी का अधिकार भी दिलाती है। अध्ययन में यह पाया गया कि स्वरोज़गार में लगी महिलाओं की औसत मासिक आय ₹3,000 से ₹8,000 के बीच थी, जो उनके पारिवारिक व्यय में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

120 महिलाओं पर आधारित अध्ययन में पाया गया कि 80% महिलाएँ अब पारिवारिक आय में सीधा योगदान कर रही हैं। उनमें से अधिकांश निम्नलिखित स्वरोज़गार गतिविधियों में संलग्न थीं:

| स्वरोज़गार गतिविधि              | महिलाओं की संख्या | प्रतिशत (%) |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| सिलाई/कढ़ाई                     | 28                | 23.3%       |
| खाद्य प्रसंस्करण (पापड़, मसाले) | 21                | 17.5%       |
| डेयरी/पशुपालन                   | 18                | 15.0%       |
| हस्तशिल्प/बुनाई                 | 15                | 12.5%       |
| कृषि उत्पाद/बीज-खाद बिक्री      | 14                | 11.7%       |
| किराना/सामान्य दुकान            | 12                | 10.0%       |
| डिजिटल/सेवा केंद्र              | 7                 | 5.8%        |
| अन्य (जैविक खाद, साबुन आदि)     | 5                 | 4.2%        |

**विश्लेषण:** सर्वाधिक महिलाएँ पारंपरिक और घरेलू रूप से अनुकूल कार्यों में संलग्न थीं, जैसे सिलाई-कढ़ाई (23.3%), खाद्य प्रसंस्करण (17.5%), और डेयरी (15%)। यह दिखाता है कि महिलाएँ उन व्यवसायों को प्राथमिकता देती हैं जो कम पूंजी, न्यूनतम जोखिम और घरेलू परिवेश में किए जा सकते हैं। डिजिटल या आधुनिक सेवा गतिविधियों (5.8%) और जैविक उत्पादों जैसे नवाचार क्षेत्र (4.2%) में भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, जो प्रशिक्षण और अवसर की कमी की ओर संकेत करता है।

यह स्पष्ट है कि महिलाएँ पारंपरिक घरेलू कार्यों से आगे बढ़कर उद्यमिता के विभिन्न स्वरूपों को अपनाने लगी हैं। इनमें कम पूंजी, सीमित प्रशिक्षण और घरेलू परिवेश में होने वाले कार्यों की हिस्सेदारी अधिक है। महिलाओं की स्वरोज़गार गतिविधियाँ मुख्यतः घरेलू या अर्ध-घरेलू प्रकृति की थीं, जिनमें कम पूंजी, सीमित प्रशिक्षण और सामाजिक स्वीकृति की अपेक्षा होती है। यह स्पष्ट करता है कि महिलाएँ अपनी सामाजिक सीमाओं के

भीतर रहते हुए स्वतंत्र उद्यमिता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। सर्वाधिक महिलाएँ सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी जैसे कार्यों में संलग्न थीं — जो उनकी पारंपरिक भूमिकाओं के निकट होते हुए भी आर्थिक सशक्तिकरण के साधन बने।

#### 4.2 मासिक आय और वित्तीय योगदान

| मासिक आय सीमा (₹) | महिलाओं की संख्या | प्रतिशत (%) |
|-------------------|-------------------|-------------|
| ₹1000–3000        | 34                | 28.3%       |
| ₹3001–5000        | 46                | 38.3%       |
| ₹5001–7000        | 27                | 22.5%       |
| ₹7001 से अधिक     | 13                | 10.8%       |

**विक्षेपण::** करीब 60.8% महिलाएँ ₹3000 से ₹7000 मासिक आय अर्जित कर रही थीं। यह आय उनके परिवारों के लिए दैनिक व्यय, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वयं की आर्थिक स्वतंत्रता में सहायक सिद्ध हो रही है। यह आँकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों की औसत महिला आय की तुलना में उल्लेखनीय है।

#### सामाजिक दृष्टिकोण से परिवर्तनकारी भूमिका

स्वरोज़गार न केवल आर्थिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक स्तर पर भी लैंगिक असमानता को चुनौती देता है। पहले जहाँ महिलाएँ केवल गृहिणी के रूप में जानी जाती थीं, वहीं अब उन्हें गाँवों में "उद्यमी दीदी", "समूह संचालिका" या "मास्टर ट्रेनर" जैसे सम्मानित उपनामों से पुकारा जाता है।

शोध में यह भी पाया गया कि स्वरोज़गार करने वाली महिलाओं की निर्णय क्षमता, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी और बालिकाओं की शिक्षा को लेकर सजगता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वे अब पंचायत बैठकों में भाग लेने लगी हैं, अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनने में भूमिका निभा रही हैं और स्थानीय प्रशासन से संवाद भी कर पा रही हैं।

#### 4.3 सामाजिक भूमिका में परिवर्तन

स्वरोज़गार ने महिलाओं को आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त किया है:

| सामाजिक संकेतक                          | महिलाओं की संख्या | प्रतिशत (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|
| निर्णय लेने की स्वतंत्रता               | 78                | 65%         |
| बच्चों की शिक्षा/स्वास्थ्य में भागीदारी | 91                | 75.8%       |
| पारिवारिक समर्थन प्राप्त                | 82                | 68.3%       |
| पंचायत/सार्वजनिक बैठक में भागीदारी      | 36                | 30%         |

**विश्लेषण:** इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि स्वरोज़गार महिलाओं के पारंपरिक आश्रित स्वरूप को तोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और निर्णयकर्ता बनाने में सहायक हो रहा है।

- 65% महिलाओं द्वारा स्वयं निर्णय लेने की बात यह दर्शाती है कि वे अब अपने व्यवसाय, बच्चों की शिक्षा, घरेलू व्यय और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने में सक्षम हैं।
- 75.8% महिलाओं की भागीदारी बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों में यह इंगित करती है कि महिलाएँ अब परिवार के सतत विकास की योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, न कि केवल अनुपालक की। यह शिक्षा व पोषण के मानकों में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- 68.3% महिलाओं को परिवार से समर्थन मिलना सामाजिक मानसिकता में सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है। यह परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा महिलाओं की कार्यक्षमता को स्वीकारने और उन्हें सहयोग देने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- यद्यपि सिर्फ 30% महिलाएँ पंचायत बैठकों जैसी सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल हो रही हैं, फिर भी यह आँकड़ा ग्रामीण सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहाँ पहले महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति ही वर्जित मानी जाती थी। यह भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महिला की भागीदारी की शुरुआत को चिन्हित करती है।

महिलाओं की निर्णय-निर्माण में भागीदारी, परिवार में सम्मान और सामुदायिक जीवन में सक्रियता स्वरोज़गार की सामाजिक प्रभावशीलता को दर्शाती है। बालिकाओं की शिक्षा में विशेष जागरूकता और पंचायत बैठकों में भागीदारी, महिलाओं के राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम हैं।

#### 4.4 SHGs और योजनाओं से जुड़ाव

| श्रेणी                                      | संख्या | प्रतिशत (%) |
|---------------------------------------------|--------|-------------|
| SHG से जुड़ी महिलाएँ                        | 84     | 70%         |
| SHG से ऋण प्राप्त किया                      | 62     | 51.7%       |
| मुद्रा योजना, NRLM आदि से लाभ प्राप्त       | 39     | 32.5%       |
| योजनाओं की समुचित जानकारी रखने वाली महिलाएँ | 22     | 18.3%       |

**विश्लेषण:** हालाँकि 70% महिलाएँ SHGs से जुड़ी थीं, लेकिन केवल 32.5% को ही सरकार की मुद्रा योजना या NRLM जैसी योजनाओं से लाभ मिला, और मात्र 18.3% महिलाओं को इन योजनाओं की समुचित जानकारी थी।

स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए एक सशक्त आर्थिक मंच बनकर उभरे हैं, किंतु सरकारी योजनाओं की जानकारी की कमी अब भी एक प्रमुख बाधा है। SHGs ग्रामीण महिलाओं के स्वरोज़गार में एक स्थानीय वित्तीय संरचना के रूप में स्थापित हो चुके हैं। हालाँकि सरकारी योजनाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन मात्र 18.3% महिलाएँ ही उनकी समुचित जानकारी रखती हैं, जो सूचना प्रसार और जमीनी जागरूकता की कमी को उजागर करता है।

#### 4.5 प्रमुख चुनौतियाँ

| चुनौती                         | संख्या | प्रतिशत (%) |
|--------------------------------|--------|-------------|
| बाज़ार से जुड़ाव की कमी        | 57     | 47.5%       |
| पूँजी/ऋण प्राप्ति में कठिनाई   | 49     | 40.8%       |
| सामाजिक विरोध/रूढ़ियाँ         | 31     | 25.8%       |
| डिजिटल/तकनीकी प्रशिक्षण की कमी | 62     | 51.7%       |

**विश्लेषण:** आर्थिक अवसरों की उपलब्धता के बावजूद महिलाओं को तकनीकी ज्ञान, विपणन कौशल और सामाजिक समर्थन की स्पष्ट कमी है, जो उनकी प्रगति को सीमित करता है। सबसे प्रमुख बाधा तकनीकी प्रशिक्षण और बाज़ार से जुड़ाव की कमी है। लगभग हर दूसरी महिला को बाज़ार की जानकारी या विपणन रणनीति नहीं थी, जिससे उनके उत्पाद सीमित क्षेत्रों तक ही पहुँचते हैं। सामाजिक रूढ़ियाँ, विशेषकर मुस्लिम व दलित समुदायों की महिलाओं में, स्वरोज़गार के विकल्पों को सीमित कर रही हैं।

#### 4.6 प्रतापगढ़ ज़िले का केस अध्ययन: SHG और महिला स्वरोज़गार

प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है, जहाँ कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस ज़िले में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs) का विकास पिछले एक दशक में तीव्र गति से हुआ है। खासकर कमराजनगर ब्लॉक में लगभग 1872 महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जो स्थानीय स्तर पर स्वरोज़गार, वित्तीय आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता के क्षेत्रों में महिलाओं को नई पहचान देने में सहायक रही हैं।

इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ विभिन्न लघु उद्योगों में कार्य कर रही हैं। घरेलू खाद्य वस्तुओं का निर्माण जैसे अचार, पापड़, मसाले; पारंपरिक हस्तकला जैसे कढ़ाई, सिलाई; पशुपालन जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन; और छोटे पैमाने पर साबुन, अगरबत्ती व मोमबत्ती निर्माण जैसे कार्य, इनके स्वरोज़गार के मुख्य स्रोत बन चुके हैं। महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उन्होंने न केवल उत्पाद निर्माण सीखा बल्कि विपणन, मूल्य निर्धारण और खाता प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पक्षों की भी समझ विकसित की है।

एक अध्ययन में यह पाया गया कि SHG से जुड़ी महिलाओं की मासिक आय ₹3,500 से ₹6,000 के बीच हो गई है, जो पहले के पारंपरिक आश्रित जीवन से एक बड़ी प्रगति मानी जाती है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि इनमें से 51% महिलाएँ SHG के माध्यम से प्राप्त ऋण से अपनी स्वरोज़गार गतिविधियाँ प्रारंभ कर चुकी हैं, और उनमें से अनेक महिलाएँ आज अन्य महिलाओं को प्रेरित भी कर रही हैं। वित्तीय साक्षरता की दिशा में भी उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। लगभग 62% महिलाओं ने बैंकिंग सेवाओं को अपनाया है – वे अब जनधन खातों, मुद्रा योजना, UPI लेनदेन आदि के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी हैं।

केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद सामाजिक संरचना में भी महिलाओं की भागीदारी में परिवर्तन आया है। अब वे अपने परिवारों के निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक समारोहों में उनकी सहभागिता पहले से कहीं अधिक हो गई है। कुछ महिलाएँ पंचायत स्तर की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय विकास कार्यों में अपनी राय भी रख रही हैं। विशेष रूप से "Bank Sakhi" जैसी भूमिकाओं में महिलाओं की नियुक्ति उन्हें और अधिक सक्षम और प्रभावशाली बना रही है।

हालाँकि इस प्रगति के साथ कुछ चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए उपयुक्त बाज़ार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके लाभ की संभावना सीमित हो जाती है। डिजिटलीय साक्षरता की कमी, उत्पादों की गुणवत्ता मानकों की जानकारी का अभाव, ब्रांडिंग और पैकेजिंग जैसे बाज़ारोन्मुख पहलुओं में प्रशिक्षण की आवश्यकता अब भी महसूस की जाती है। सामाजिक रूढ़ियाँ और पारिवारिक दायित्व भी कई बार महिलाओं को पूरी क्षमता से आगे बढ़ने से रोकते हैं।

इसलिए, यह ज़रूरी है कि जिला प्रशासन और NGO मिलकर महिला SHG को बाज़ार से जोड़ने की रणनीति विकसित करें। स्थानीय स्तर पर विपणन केंद्रों की स्थापना, डिजिटलीय प्रशिक्षण शिविर, तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की पारदर्शी पहुँच इस दिशा में सहायक हो सकती हैं।

प्रतापगढ़ का यह केस अध्ययन यह सिद्ध करता है कि ग्रामीण महिलाएँ यदि संगठित हों, प्रशिक्षित हों और उन्हें समुचित अवसर प्रदान किया जाए, तो वे न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा सकती हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की वाहक भी बन सकती हैं। SHG के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और वित्तीय समझ का विकास हुआ है, जो समग्र ग्रामीण विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

## 5. महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसर निरंतर विकसित हो रहे हैं, किंतु यह प्रगति पूरी तरह सहज नहीं है। वास्तविकता यह है कि महिलाएँ अभी भी अनेक जमीनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जो उनके उद्यमशील बनने की राह को कठिन बनाती हैं। ये चुनौतियाँ प्रायः चार प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित हैं:

### 5.1 वित्तीय सहायता की कमी

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोज़गार की शुरुआत अक्सर *आर्थिक पूंजी की अनुपलब्धता* के कारण कठिन हो जाती है। अनेक महिलाओं के पास निजी बचत, बैंकिंग पहुँच या गारंटी देने की क्षमता नहीं होती, जिससे वे वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त नहीं कर पातीं। स्वयं सहायता समूह इस कमी को कुछ हद तक पूरा करते हैं, परंतु उच्च पूंजी वाले कार्यों या दीर्घकालिक निवेश के लिए यह सहयोग अपर्याप्त होता है।

### 5.2 शिक्षा और कौशल का अभाव

ग्रामीण महिलाओं में सामान्यतः शैक्षिक स्तर निम्न होता है और तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी सीमित होती हैं। इस कारण वे आधुनिक विपणन, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटलीकरण और नवाचार आधारित व्यवसायों को अपनाने में कठिनाई महसूस करती हैं। यह कौशल-अभाव न केवल उनके व्यवसाय की दक्षता को प्रभावित करता है, बल्कि आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर डालता है।

### 5.3 सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ

परंपरागत ग्रामीण समाज में महिलाओं के लिए स्वतंत्र कार्य करना अब भी सहज स्वीकृत नहीं है। उन्हें रूढ़िवादी सामाजिक सोच, पारिवारिक नियंत्रण और लैंगिक भूमिकाओं की सीमाओं का सामना करना पड़ता है। पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों से अनुमति लेना, बाहरी पुरुषों से संवाद की संकोच, और सम्मान-आधारित अवरोध जैसी समस्याएँ अक्सर उनकी स्वायत्तता को सीमित करती हैं।

### 5.4 बाज़ार तक पहुँच की कमी

महिलाएँ अपने उत्पाद तो बना लेती हैं, लेकिन उन्हें बाज़ार तक पहुँचाना, मूल्य निर्धारण करना, ब्रांड बनाना और प्रतिस्पर्धा में टिके रहना – ये सभी चुनौतियाँ रहती हैं। ग्रामीण परिवेश में उपयुक्त बाज़ार की दूरी, परिवहन साधनों की अनुपलब्धता और व्यापारिक जानकारी की कमी के कारण महिलाएँ स्थानीय स्तर तक ही सीमित रह जाती हैं। इसके अलावा डिजिटल बाज़ार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग की जानकारी न होना भी एक बड़ी बाधा है।

## 6. सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ

## 6.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो ग्रामीण निर्धन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यरत है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित किया जाता है, ताकि वे सामूहिक रूप से बचत, ऋण, प्रशिक्षण, विपणन और उत्पादन संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकें। NRLM उन्हें स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करता है। योजना की संरचना इस प्रकार है कि महिलाएँ सामुदायिक नेतृत्व में प्रशिक्षित होकर स्वयं भी अन्य महिलाओं को प्रेरित कर सकें।

## 6.2 मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपने स्वयं के लघु व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। योजना में तीन श्रेणियाँ होती हैं — शिशु, किशोर और तरुण — जो महिला की परियोजना की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग ऋण सीमा निर्धारित करती हैं। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जो पारंपरिक व्यवसायों जैसे सिलाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग या सेवा केंद्र आदि में उद्यमिता की शुरुआत करना चाहती हैं। मुद्रा योजना स्वरोजगार के लिए आवश्यक वित्तीय आधार तैयार करती है।

## 6.3 डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस

डिजिटलीकरण के इस युग में ग्रामीण महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन आवेदन, ई-वाणिज्य, डिजिटल भुगतान प्रणाली, और सरकारी सेवाओं की ई-गवर्नेंस पोर्टलों तक पहुँच के लिए प्रशिक्षित करना है। डिजिटल ज्ञान न केवल महिलाओं को व्यवसाय के नए अवसरों से जोड़ता है, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं तक पहुँच और अपने उत्पादों का विपणन करने की भी क्षमता देता है।

## 6.4 महिला उद्यमिता नीति

विभिन्न राज्य सरकारें भी महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियाँ लागू कर रही हैं। उदाहरणस्वरूप, उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमिता नीति के अंतर्गत स्टार्टअप और नवाचार आधारित व्यवसायों को सब्सिडी, बाज़ार पहुँच और ब्रांडिंग सहायता दी जा रही है। राजस्थान की “इंदिरा महिला शक्ति योजना” में SHGs को प्रशिक्षण, पूंजी सहायता और विपणन नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।



मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी महिलाओं को ऋण व तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वरोज़गार के लिए प्रेरित कर रही है। इन राज्य स्तरीय पहलों का उद्देश्य महिलाओं को स्थानीय संदर्भ में व्यवसायिक रूप से सक्षम बनाना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

## 7. निष्कर्ष और सुझाव

ग्रामीण भारत में महिलाओं के स्वरोज़गार की भूमिका केवल आर्थिक गतिविधि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है। अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि स्वरोज़गार ने महिलाओं को न केवल आय का स्रोत प्रदान किया, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सामाजिक पहचान, और पारिवारिक नेतृत्व की भूमिका भी प्रदान की। जिन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से स्वरोज़गार को अपनाया, उन्होंने अपने जीवन में आत्मविश्वास, सामाजिक भागीदारी और आर्थिक स्थिरता की नई राहें खोलीं।

स्वरोज़गार के माध्यम से महिलाएँ अब घरेलू निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य निर्माण में सहभागी बन रही हैं, और कई मामलों में अपने समुदाय की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत के रूप में उभर रही हैं। यह भी देखा गया कि डिजिटल साक्षरता, सरकारी योजनाओं से जुड़ाव और कौशल विकास जैसी पहलें स्वरोज़गार को अधिक प्रभावी बना रही हैं, हालाँकि इन क्षेत्रों में अब भी बहुत सुधार की आवश्यकता है।

इस शोध के आधार पर कुछ व्यावहारिक और नीति-सम्बन्धी सुझाव सामने आते हैं। सबसे पहले, महिला-केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुँच को ग्रामीण स्तर तक विस्तार देना आवश्यक है, ताकि महिलाएँ तकनीकी, विपणन और उद्यम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में दक्ष बन सकें। इसके अतिरिक्त, SHGs को आधुनिक उपकरणों, डिजिटलीकरण और उत्पादन तकनीकों की जानकारी प्रदान कर तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को स्थानीय हाट, सरकारी विपणन मंच और ऑनलाइन बाज़ारों से सीधे जोड़ने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे वे अपने उत्पादों को व्यापक उपभोक्ता समूह तक पहुँचा सकें।

एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल समावेशन, जिसे केवल स्मार्टफोन वितरण तक सीमित न रखते हुए डिजिटल प्रशिक्षण, मोबाइल एप्स की समझ, ई-गवर्नेंस सेवाओं की उपयोगिता और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर गहराई से लागू किया जाना चाहिए। इससे महिलाएँ न केवल सूचना की उपभोक्ता बनेंगी, बल्कि उसे एक सशक्त उपकरण के रूप में प्रयोग भी कर सकेंगी।

सारांशतः, स्वरोज़गार महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय क्षमता और सामाजिक पहचान प्रदान करता है — किंतु इसके अधिक व्यापक और समावेशी प्रभाव के लिए बहुस्तरीय रणनीतियों, सरकारी योजनाओं की जागरूकता, और पारिवारिक-सामुदायिक सहयोग की निरंतर आवश्यकता बनी हुई है।

### संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. (2022). *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22*. ग्रामीण विकास मंत्रालय.
2. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2021). *प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: प्रगति मूल्यांकन*.
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2021). *महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति दस्तावेज़*.
4. उत्तर प्रदेश सरकार. (2022). *महिला उद्यमिता नीति 2022*. उद्योग एवं उद्यमिता विभाग.
5. राजस्थान सरकार. (2021). *इंदिरा महिला शक्ति योजना – दिशा निर्देश एवं कार्यान्वयन रिपोर्ट*. महिला एवं बाल विकास विभाग.
6. मल्होत्रा, आर. (2007). *विभिन्न योजनाओं में स्वयं सहायता समूह: एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका*. नई दिल्ली: समग्र प्रकाशन.
7. चंद्रशेखर, एस., और मेहरोत्रा, एस. (2019). ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी: पैटर्न और बाधाएँ। *इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकॉनॉमिक्स*, 62(3), 405–425.
8. सिंह, आर., और देवी, एम. (2021). स्वयं सहायता समूह और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अध्ययन। *ग्रामीण विकास अध्ययन जर्नल*, 39(2), 56–73.
9. योजना आयोग. (2020). *ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास*. भारत सरकार.
10. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत. (2020). *लैंगिक और आजीविका: ग्रामीण महिला उद्यमियों की क्षमता वृद्धि*.
11. कुमार, ए. (2018). स्वरोज़गार और महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की सफलता की कहानियाँ। *ग्रामीण अध्ययन शोध पत्रिका*, 12(1), 45–52.
12. शर्मा, वी. (2020). स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता और सशक्तिकरण। *अंतरराष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान जर्नल*, 6(4), 101–110.
13. गुप्ता, एम. (2019). महिलाओं के लिए मुद्रा योजना का प्रभाव: उत्तर भारत का एक अध्ययन। *विकास नीति जर्नल*, 17(2), 88–95.
14. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय. (2021). *कौशल भारत – महिला उद्यमिता विशेषांक*. भारत सरकार.
15. नाबार्ड. (2020). *स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम: स्थिति रिपोर्ट*.
16. जोशी, पी. (2019). ग्रामीण महिला उद्यमियों में डिजिटल साक्षरता: चुनौतियाँ और परिणाम। *ई-गवर्नेंस जर्नल*, 4(3), 39–47.

17. वर्मा, एस. (2018). सामाजिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका: ग्रामीण परिप्रेक्ष्य। *ग्रामीण महिला अध्ययन समीक्षा*, 10(1), 28–36.